

Speed post / त्रिवि डाक

I/9397/2023

Violation letter/उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines, Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-
2695202

संख्या: MCDR-MiFLOPbZn/7/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक: 08/05/2023

प्रेषित: खान एजेंट,
जवारमाला लैड-जिंक खान,
मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड,
विलिज एण्ड पोस्ट: जावर,
जिला: उदयपुर(राजस्थान),
पिन: 313901.

(e-mail: Ram.Murari@vedanta.co.in, Shashi.Shukla@vedanta.co.in, Hannelie.Hanson@vedanta.co.in)

विषय: राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित आपकी जवारमाला लैड-जिंक खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 28/03/2023 by undersign in presence of your good-self and Shri Nand Lal Swami, Mine Manager of your Mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	<p>Mining operations have not been carried out in accordance to the Modified Mining Plan approved on 15/07/2021 to the extent given below for the year 2022-23:</p> <p>(1) The proposed area of 0.20 hectare of G3 level exploration was not upgrade to G1/G2 level of exploration.</p> <p>(2) The development of 2477.61 meter was achieved against the target of 4200 meters of development.</p> <p>(3) Plantation of 4190 saplings was carried out against the target of 5000 number of sapling plantation.</p> <p>(4) Paste filling of 143987.20 tons was achieved against the target of 388800 tons.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वरिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

I/9397/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
4. रक्षित पत्रवली।

वरिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर